

कार्यालय आदेश संख्या - 118 /NG/2019/Comml./SPJ

श्री शशि कुमार ठाकुर, पुत्र श्री राम सेवक ठाकुर, प्रधान टिकट परीक्षक/हुबली मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे, वेतनमान 9300-34800+4200, (लेवल-6) जिनका पदावनत पद टिकट परीक्षक वेतनमान 5200-20200+2000, (लेवल-3) के पद पर अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे, का पत्र संख्या:-H/P.676/III/TE/IRRT/IDRT/Vol.I दिनांक 20.02.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र:-KA/II/283/TC/IDIR/Own Request/Transfer/18 दिनांक 01/02.04.2019 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे का पत्र संख्या:-संख्या:-H/P.676/III/TE-ECRC/IRT/IDT/Vol.I दिनांक 22.07.2019 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 26.07.2019 को रिपोर्ट किये हैं, को टिकट परीक्षक वेतनमान 5200-20200+2000, (लेवल-3) के पद पर मुख्य टिकट निरीक्षक/समस्तीपुर के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 26.07.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतिक्षारत अवधि मानी जाएगी।


उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/समस्तीपुर द्वारा आदेशित है।

श्री शशि कुमार ठाकुर का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Shashi Kumar Thakur



(मनोज कुमार चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी-।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सहायक क
पूर्व मध्य

स0- का/ 11/ 283 /टीसी/अं.मं.अं.रे./निजी अनुरोध/स्था0/18

दिनांक 29.07.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिकरणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
2. वमवाप्र समस्तीपुर एवं हुबली मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे।
3. वमविप्र/समस्तीपुर एवं हुबली मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे।
4. मुख्य टिकट निरीक्षक/समस्तीपुर-उक्त कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
5. मुकार्याधी/वाणिज्य संवर्ग-उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करें।
6. मुकार्याधी/यातायात बिल, कार्यालय में।
7. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकेष्ठ।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी-आप मुख्य टिकट निरीक्षक/समस्तीपुर को रिपोर्ट करें।
10. अभिलेख हेतु।

29/7/19
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर